न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 47 / 2018

1. जगदीश पुत्र पतराम जाति बिश्नोई निवासी 1 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर –वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व) रायसिंहनगर –प्रतिवादी

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. एवं धारा 125–136 राज. भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बिश्नोई, वकील वादी
2. राजपैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः 19.08.2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. एवं धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी वाके चक 1 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 130/339 मु.नं. 17 के कि.नं. 13/2 ता 25 की कुल 3.162है नहरी मय खाला खातेदार वादी एवं उसके भाई–बहनों का हर आठ बहिस्सा बराबर खातेदारी भूमि विरास्तन प्राप्त हैं। वादी का सही व वास्तविक नाम जगदीश हैं। वादी का घरेलू छोटा नाम विष्णु पुकारने के कारण वादी को इन दोनों नामों से जाना पहचाना चाहता हैं। वादी से संबंधित समस्त दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान–पत्र, इत्यादि में वादी का नाम जगदीश दर्ज हैं। चक 1 एल. सी. के अलावा वादी के उपरोक्त नाम जगदीश या विष्णु नाम का ओर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता हैं। वादी का घरेलू छोटा नाम विष्णु प्रचलित होने से तत्कालीन समय भूमि अभिलेखों में इसी नाम से भूमि वादी के पक्ष में नामान्तरित कर दी गई। मगर वादी के व्यक्तिगत दस्तावेजात में नाम जगदीश दर्ज होने से वादी को आईन्दा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड, जारी करवाने हस्तान्तरण करने, ऋण आदि लेने व सराकारी योजनाओं व अनुदान आदि का लाभ लेने में भारी दिक्कतें उठानी पडेगी एवं लाभ प्राप्ति से वंचित होने का अन्देशा रहेगा। अतः चक 1 एल.सी. तह. रायसिंहनगर के प.नं. 130/339 मु.नं 17 के कि.नं. 13/2 ता 25 की कुल खाता योग 3.162है नहरी मय खाला खातेदारी में वादी का 1/8 विरास्तन भाग हैं, तथा वादी का सही व वास्तविक नाम जगदीश हैं। घोषित किया जावे। एवं घोषणात्मक डिक्री अनुसार जमाबंदी व उसके पश्चात के समस्त रिकार्ड में वादी के नाम की दुरूस्ती करते हुये वादी के नाम विष्णु के स्थान पर जगदीश दर्ज करने के आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। स्टेट की ओर से राजपैरोकार उपस्थित। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। वादी ने दस्तावेज प्रदर्श कराये एवं शपथ पत्र वादी जगदीश पर जिरह पूर्ण की गयी। बहस पक्षकारान सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में चक 1 एल.सी. तह. रायसिंहनगर के प.नं. 130/339 मु.नं. 17 के कि.नं. 13/2 ता 25 की कुल खाता योग 3.162है नहरी मय खाला खातेदारी में वादी का नाम विष्णु के स्थान पर सही नाम जगदीश दर्ज करने की दुरूस्ती कर खातेदार घोषित करने की डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील वादी एवं राजपैरोकार पर मनन किया एंव पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज/प्रदर्श दस्तावेज साक्ष्यों का अवलोकन किया। जमाबंदी सम्वत 2071–74 चक 1 एल.सी. तह. रायसिंहनगर खाता सं. 31 मु.नं. 16 के कि.नं. 1 ता 15, 19/3 ता 22 कुल 4.000है. नहरी मय खाला भूमि पतराम वल्द मंगलूराम कौम बिश्नाई सा. देह खातेदार राहिन यूको बैंक शाखा जैतसर मुर्तहीन दर्ज थी। जो जरिए ई.नं. 338 दिनांक 20.04.2018 किशनलाल, जयपाल, आत्माराम रामस्वरूप, जगदीश, बुगी, रामस्नेही, लिछमा पि0 पतराम कौम बिश्नाई सा. देह हर आठ बहिब खातेदार राहिन बदस्तुर जमाबंदी दर्ज हैं। तथा

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

रए ई.नं. 342 दिनांक 27.06.2018 सालम खाता रहनफक दर्ज हैं। जमाबंदी सम्वत 71–74 चक 1 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर खाता सं. 15 प.नं. 130/339 मु.नं. 17 कि.नं. 13/2 ता 25 की कुल 3.162है नहरी मय खाला भूमि कृष्ण–जयपाल–रामस्वरूप–विष्णु–आत्माराम– बुगीदेवी–राधादेवी–लिछमादेवी पि0 पतराम हर आठ बहिब कौम बिश्नोई सा. देह खातेदार ई.नं. 248 रहनफक दर्ज हैं। वादी अपना नाम विष्णु के स्थान पर जगदीश दर्ज दुरूस्त करवाना चाहता हैं। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर क्रमांक/भू.अ./18/4526 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार जमाबंदी चक 1 एल. सी. सम्वत् 2071–74 खाता सं. 15 प.नं. 130/339 मु.नं. 17 के 3.162है. नहरी मय खाला में ई सं. 174 दिनांक 26.02.08 किस्म विरास्तन के द्वारा कृष्ण–जयपाल–रामस्वरूप –विष्णु–आत्माराम पि. पतराम बुगीदेवी–राधादेवी–लिछमादेवी पुत्रियान पतराम कौम बिश्नाई बहिब खातेदार रहन बदस्तुर दर्ज हुआ। इसी चक के ई.ने. 338 दिनांक 20.04.2018 किस्म विरास्तन के द्वारा पतराम के फौत होने पर किशनलाल –जयपाल –आत्माराम–रामस्वरूप–जगदीश–बुगी–रामस्नेही–लिछमा पि0 पतराम कौम बिश्नाई सा. देह हर आठ बहिब खातेदार राहिन बदस्तुर दर्ज हुआ। जो वारिसनामा क्रमांक/ एसपीएल–1 दिनांक 09.04.2018 ग्राम पंचायत 5 एनपी डाबला से जारी है जिसमें नाम जगदीश अंकित हैं। परन्तु घरेलू बोलचाल में नाम विष्णु होने के कारण नामान्तरण सं. 174 में नाम विष्णु अंकित हो गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित शपथ पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र पतराम अंकित हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट आई एल आर पटवारी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार प्रार्थी का नाम विष्णु पुत्र पतराम के स्थान पर जगदीश पुत्र पतराम किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं। शपथ पत्र जगदीश का अवलोकन किया एवं जिरह पर मनन किया। प्रदर्श दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से न्यायालय का यह निष्कर्ष हैं कि संहबन से वादी का नाम घरेलू बोलचाल में नाम विष्णु प्रचलित होने के कारण राजस्व रिकार्ड में नाम विष्णु दर्ज हो गया हैं, जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम जगदीश हैं। जिसकी दुरूस्ती की जानी उचित प्रतीत होती हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दस्तावेजात, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत 5 एनपी डाबला तथा तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. एवं धारा 125–136 राज. भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं। तथा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी चक 1 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर के प.नं. 130/339 मु.नं 17 के कि.नं. 13/2 ता 25 की कुल खाता योग 3.162है नहरी मय खाला कृष्ण–जयपाल–रामस्वरूप–विष्णु–आत्माराम– बुगीदेवी–राधादेवी–लिछमादेवी पि0 पतराम हर आठ बहिब कौम बिश्नोई सा. देह खातेदार ई.नं. 248 रहनफक दर्ज भूमि में विष्णु के स्थान पर जगदीश नाम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनया गया।

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner